

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

भारत सिंह

बनाम

शान्तिबाइ

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

234/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.6.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>भारत सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>इत्याय सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>रोऊडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>रोऊडा</u> <u>पु.र. गुल्डिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 211/1, 211/1003 370/1, 671/1, 672/1, 673/1, 674/1, 938/1, 939/1</p> <p>कुल कीता <u>09</u> कुल रकबा <u>2.46</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोऊडा (गुल्डिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>211/1, 211/1003, 370/1, 671/1, 672/1, 673/1, 674/1, 938/1, 939/1</u></p> <p>कुल कीता <u>09</u> रकबा <u>2.46</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500</u> रुपये अक्षरे <u>15 हजार पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सिद्ध देवना) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>